रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2019/वैशाख 9, 1941
No. 139] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2019/VAISAKHA 9, 1941

शासी बोर्ड भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना के अधिक्रमण में

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./106975.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद "प्रति वर्ष 50 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:

1(i) इन विनियमों को "प्रति वर्ष 50 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रति वर्ष 50 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में, अनुसूची- I - 'मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान और उसके संबद्ध अध्यापन अस्पताल', उप-शीर्षक 'क-कॉलेज', 'क.I–सामान्य' के अंतर्गत खंड 23(क) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"क.1.23(क)

सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान, इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट मानव संसाधनों की उपस्थिति नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन संस्थापित करेंगे।

बायोमेट्रिक उपस्थिति दैनिक उपस्थिति-बोर्ड के रूप में मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद, मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से मूल्यांकन के दौरान या इसके पश्चात उपस्थितियों का ऐसा रिकार्ड मांग सकती है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का अनुरक्षण मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। परिषद के विवेकाधिकार पर डीन/प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक शपथपत्र के रूप में ऐसा वचनपत्र प्रस्तुत

च) संस्थान द्वारा आयोजित किए गए किन्हीं सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, सम्मेलनों और/या किन्हीं अकादमिक क्रियाकलापों के ब्योरे;

छ) छात्रों या संकाय सदस्यों द्वारा प्राप्त किन्हीं पुरस्कारों और उपलब्धियों के ब्योरे;

ज) संबंधन विश्वविद्यालय और इसके कुलपति तथा रजिस्ट्रार के ब्योरे;

झ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम;

ञ) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्योरे-वार स्थिति;

ट) अस्पताल में नैदानिक सामग्री के ब्योरे।

(ख) प्रत्येक कॉलेज/संस्थान, इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट मानव संसाधनों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति-बोर्ड रखेगा। यह उपस्थिति-बोर्ड, **'बायोमेट्रिक उपस्थिति-बोर्ड'** शीर्षक के अंतर्गत **'कॉलेज की वेबसाइट के होम पेज पर एमएसआर खंड ख.1.11 के अंतर्गत सूचना'** मुख्य लिंक के अंतर्गत एक उप-लिंक के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

[विज्ञापन-III/4/**असाधारण**/23/19]

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामत: "प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड.(ii) के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III, खंड (4) प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20 अक्तूबर, 2008, 01 दिसंबर, 2008, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010, 26 फरवरी, 2010, 17 सितंबर, 2010, 03 नवंबर, 2010, 18 मार्च, 2014, 01 जुलाई, 2015, 27 जनवरी, 2017, 09 मार्च, 2017, 23 अगस्त, 2017, 22 जनवरी, 2018 और 05 फरवरी, 2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2019

No. MCI-34(41)/2019-Med./106975.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in Super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2019".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", under Schedule–I – 'ACCOMMODATION IN THE MEDICAL COLLEGE AND ITS ASSOCIATED TEACHING HOSPITALS', Sub-heading 'A-College', 'A.1 – General', Clause 23(a) shall be substituted as under:

   "A.1.23(a)

   All Medical Colleges/ Institutions shall install biometric attendance machine for regularly capturing the attendance of human resources as specified in these regulations.

The biometric attendance shall be made available on the Medical College Website in the form of daily attendance dashboard. The Council may seek from the Medical Colleges/Institutions, such record of attendances during or after assessment.

The maintenance of the biometric attendance system shall be the responsibility of the Medical Colleges/Institutions. The Dean/Principal at the discretion of the Council, shall be required to furnish an undertaking by way of an affidavit stating that the enrolment of human resources in the biometric system has been ensured in a trusted environment and the report of the biometric attendance, is authentic and correct.

The financial burden arising on account of setting up of biometric attendance system and human resources enrolment shall be borne by the respective Medical Colleges/Institutions."

3. In the "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", under Schedule–I – 'ACCOMMODATION IN THE MEDICAL COLLEGE AND ITS ASSOCIATED TEACHING HOSPITALS', Sub-heading 'B-Teaching Hospital', 'B.1 – General Remarks', Clause 11 shall be substituted as under:

"B.1.11

(a) Each and every college/institute shall have its own website wherein a hyperlink shall be made available as **'Information under MSR Clause B.1.11'** on the Home page of the Website, which shall contain the following details in the form of sub links, to be updated in the first week of every month: —

a) Details of Dean, Principal and Medical Supdt. including their name, qualification complete address with telephone and STD code, fax and E-mail etc.

b) Teaching as well as non-teaching staff.

c) Details of the sanctioned intake capacity of various Undergraduate and Postgraduate courses.

d) List of students admitted merit-wise category-wise in MBBS and Postgraduate courses for the current and previous academic sessions.

e) Any research publications during the last one year.

f) Details of any Continuing Medical Education programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution.

g) Details of any awards and achievement received by the students or faculty.

h) Details of the affiliating University and its Vice-Chancellor and Registrar.

i) Results of all the examinations of last one year.

j) Detailed status of recognition of all the courses.

k) Details of clinical material in the hospital.

(b) Each and every college/institute shall maintain Daily Biometric Attendance Dashboard of human resources as specified in these regulations. The Attendance Dashboard shall be provided as a sub link under the main link **'Information under MSR Clause B.1.11'** on Home page of the College website under heading **'Biometric attendance Dashboard'**.

[ADVT.-III/4/Exty./23/19]

DR. R.K. VATS, Secy. General

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1st December 2008, 13 November 2009, 18 January 2010, 30 January 2010, 26 February 2010, 17 September 2010, 3 November 2010, 18 March 2014, 01 July 2015, 27 January 2017, 9 March 2017, 23 August 2017, 22 January, 2018 & 5th February, 2019

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./106975.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद "प्रति वर्ष 200 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:

1(i) इन विनियमों को "प्रति वर्ष 200 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "प्रति वर्ष 200 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में, अनुसूची-। - 'मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान और उसके संबद्ध अध्यापन अस्पताल', उप-शीर्षक 'क-कॉलेज', 'क.।–सामान्य' के अंतर्गत, डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी) के अंतर्गत ऑनलाइन संकाय उपस्थिति मॉनीटरिंग प्रणाली (ओएफएएमओएस), बिंदु (क) से संबंधित सूचना निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित और क्रमांकित की जाएगी:

"क.1.21(क)

सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान, इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट मानव संसाधनों की उपस्थिति नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन संस्थापित करेंगे।

बायोमेट्रिक उपस्थिति दैनिक उपस्थिति-बोर्ड के रूप में मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद्, मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से मूल्यांकन के दौरान या इसके पश्चात् उपस्थितियों का ऐसा रिकार्ड मांग सकती है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का अनुरक्षण मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। परिषद् के विवेकाधिकार पर डीन/प्रधानाचार्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक शपथपत्र के रूप में ऐसा वचनपत्र प्रस्तुत करे, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि बायोमेट्रिक प्रणाली में मानव संसाधनों का नामांकन, एक विश्वासप्राप्त वातावरण में सुनिश्चित किया गया है और बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट प्रामाणिक और सही है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और मानव संसाधन नामांकन के स्थापना की बाबत उत्पन्न वित्तीय भार संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।"

3. "प्रति वर्ष 200 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में, अनुसूची-। - 'मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान और उसके संबद्ध अध्यापन अस्पताल', उप-शीर्षक 'ख-अध्यापन अस्पताल', 'ख.।–सामान्य अभ्युक्तियां' के अंतर्गत खंड 11 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"ख.1.11

(क) प्रत्येक कॉलेज/संस्थान की अपनी स्वयं की वेबसाइट होगी, जिसमें वेबसाइट के होम पेज पर **'एमएसआर खंड ख.1.11 के अंतर्गत सूचना'** के रूप में एक हाइपर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उप-लिंक्स के रूप में निम्नलिखित ब्योरे होंगे, जिन्हें प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जाएगा: